राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक 3 तेरहवीं विधान सभा के तृतीय सत्र का इक्कीसवां दिवस संख्या 15

सोमवार,
27 जुलाई, 2009

राजस्थान विधान सभा की बैठक 1100 बजे
विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष: श्री राजेन्द्र राठौड़ ।

श्री प्रतापसिंह खाचरियावास (सिविल लाइन्स): अध्यक्ष जी, हम किसी भी कीमत पर नहीं चाहते ...(व्यवधान)...

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): प्रश्न संख्या 258.

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): ...(व्यवधान)... बिलकुल नहीं बोलने देंगे ...(व्यवधान)... हम सुनेंगे नहीं ...(व्यवधान)... इस सदन में इनको बिलकुल नहीं सुनेंगे ...(व्यवधान)...

(सत्तापक्ष के अनेक माननीय सदस्यों द्वारा सदन में हंगामा)

(प्रतिपक्ष के अनेक माननीय सदस्यों द्वारा सदन में हंगामा)

श्री प्रतापसिंह खाचरियावास (सिविल लाइन्स): ...(व्यवधान)... इन्होंने व्यवहार किया है ...(व्यवधान)... इस तरह का माहौल इन्होंने खराब किया है ...(व्यवधान)... हमने कोई माहौल खराब नहीं किया ...(व्यवधान)...

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): ...(व्यवधान)... अध्यक्ष महोदय, हम बिलकुल नहीं सुनेंगे, बिलकुल नहीं सुनेंगे ...(व्यवधान)...

श्री प्रतापसिंह खाचरियावास (सिविल लाइन्स): माननीय अध्यक्ष महोदय, हमने यह फैसला किया है ...(व्यवधान)...

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): सवाल पूछना हमारा अधिकार है ...(व्यवधान)...

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): गृह मंत्री जी की आवाज को दबाना चाहते हैं ...(व्यवधान)...

श्री प्रतापसिंह खाचरियावास (सिविल लाइन्स): हमने यह फैसला किया .(व्यवधान)... गुलाब जी कटारिया और राजेन्द्र राठौड़ को नहीं सुनेंगे ...(व्यवधान)... हमने यह फैसला किया हम इन तीनों नेताओं को नहीं सुनेंगे ...(व्यवधान)...

जिला श्रीगंगानगर एवं बांसवाड़ा में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के
गेहूँ का भारतीय खाद्य निगम का अवैध बेचान

258. श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि जिला श्रीगंगानगर में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से ए.पी.एल. परिवारों को वितरित किए जाने वाले गेहूँ को भारतीय खाद्य निगम को फर्जी काश्तकार के नाम से बेचे जाने का प्रकरण सरकार की जानकारी में आया है? यदि हां, तो सरकार द्वारा दोषियों के विरूद्ध क्या-क्या कार्यवाही की गई?

(2) क्या यह भी सही है कि जिला बांसवाड़ा में फर्जी काश्तकारों के नाम से भारतीय खाद्य निगम को समर्थन मूल्य पर गेहूँ बेचे जाने का प्रकरण सरकार की जानकारी में आया है तथा इस संदर्भ में सी.बी.आई. द्वारा कोई जांच भी की गई है? यदि हां, तो दोषियों के विरूद्ध सरकार द्वारा क्या-क्या कार्यवाही की गई?

राज्य मंत्री,खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति (श्री बाबूलाल नागर): (1) जी हां, जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर को किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा मोबाइल फोन पर दिनांक 30.05.09 को सूचना दी गई थी कि घड़साना तहसील के गेहूँ खरीद क्रय केन्द्र 365 हैड पर सार्वजनिक विवरण प्रणाली का गेहूँ फर्जी काश्तकारों के नाम से भारतीय क्षाद्य निगम को बेचा गया है। इस संबंध में जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर द्वारा संबंधित क्षेत्रीय प्रवर्तन निरीक्षक एवं नायब तहसीलदार, घड़साना को मौके पर तुरंत जाकर जांच करने हेतु निर्देश दिये गये। संबंधित अधिकारियों द्वारा प्राथमिक जांच रिपोर्ट में यह पाया गया कि श्री अरविन्द कुमार निवासी 1,केवाइडी द्वारा मैसर्स स्वामी ब्रदर्स के मार्फत भारतीय खाद्य निगम को 1150.50 क्विंटल गेहूँ का बेचान किया गया है तथा संदेह अनुसार यह गेहूँ खाजूवाला क्षेत्र के निकट स्थित होने से उस क्षेत्र की सार्वजनिक वितरण प्रणाली का गेहूँ श्री अरविन्द कुमार द्वारा भारतीय खाद्य निगम को समर्थन मूल्य पर बेचा गया है।

इस रिपोर्ट पर जिला कलक्टर, श्रीगंगानगर द्वारा दिनांक 01.06.2009 को जिला कलक्टर, बीकानेर को खाजूवाला क्षेत्र के समस्त राशन थोक एवं खुदरा विक्रेताओं के गेहूँ आवंटन एवं वितरण के संबंध में विस्तृत जांच हेतु निवेदन किया गया (परिशिष्ट-1)। जिला कलक्टर, बीकानेर द्वारा दिनांक 05.06.2009 को निष्पक्ष जांच करने के संबंध में उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला को तत्काल जांच करने के लिखित में निर्देश दिये गये (परिशिष्ट-2)।

उपखण्ड अधिकारी, खाजूलवाला द्वारा उनके क्षेत्र की तीनों तहसील खाजूलवाल, पूगल एवं छत्रगढ़ के राशन थोक एवं खुदरा विक्रेताओं की विस्तृत जांच तहसीलदार एवं प्रवर्तन

स्टाफ के साथ की गई। विस्तृत जांच में इस क्षेत्र के सार्वजनिक वितरण प्रणाली के गेहूँ का अवैध बेचान होने के प्रमाण नहीं पाये गये।

इस संबंध में जिला रसद अधिकारी कार्यालय श्रीगंगानगर द्वारा क्षेत्रीय प्रबंधक भारतीय खाद्य निगम, श्रीगंगानगर को उपरोक्त गेहूँ के बेचान की जांच करने हेतु दिनांक 30.05.09 को लिखा गया है। इस संबंध में भारतीय खाद्य निगम द्वारा क्षेत्रीय प्रबंधक, श्रीगंगानगर द्वारा की गई जांच में किसी प्रकार की अनियमितता नहीं पाया जाना बताया है।

(2) जी हां, बांसवाड़ा में फर्जी काश्तकारों के नाम से भारतीय खाद्य निगम को समर्थन मूल्य पर गेहूँ बेचे जाने का प्रकरण सरकार की जानकारी में आया है। सी.बी.आई. कार्यालय, जोधपुर से प्राप्त जानकारी के अनुसार सी.बी.आई. द्वारा दिनांक 23.04.09 को भारतीय खाद्य निगम के बांसवाड़ा जिले में स्थित 8 खरीद केन्द्रों पर जांच कार्यवाही की गई। भारत सरकार का उपक्रम होने के कारण इस संबंध में सी.बी.आई. द्वारा भारतीय खाद्य निगम के निम्न अधिकारियों/कार्मिकों एवं फर्मों के विरूद्ध प्रकरण दर्ज किये गये:-

श्री योगेश द्विवेदी व श्री एम.एल.पगरिया, प्रबंधक, भारतीय खाद्य निगम।

श्री ए.के.शर्मा, श्री के.एस.मीणा, श्री नियाज अहमद, श्री आर.पी.जैन सभी सहायक भारतीय खाद्य निगम।

फर्मः- अनुपम ट्रेडर्स, तलाती मीठालाल पन्नालाल वर्द्धमान फूड प्रोडक्ट्स व नेमीनाथ ट्रेडर्स।

उपरोक्त के खिलाफ चार प्रकरण संख्या 3/09, 4/09, 5/09 एवं 6/09 दर्ज किये गये हैं। इन सभी मामलों में जांच प्रारंभिक अवस्था में है।

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): यह सदन को चलना नहीं देना चाहते हैं। इस तरह के लोगों को इस सदन में माननीय अध्यक्ष महोदय ...(व्यवधान)...

श्री प्रतापसिंह खाचरियावास (सिविल लाइन्स): ...(व्यवधान)... मेरा आपसे अनुरोध है आप बैठकर के बात करें, फैसला लें ...(व्यवधान)... इसके बाद आप व्यवस्था दे ...(व्यवधान)... व्यवस्था आपको देनी है।

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): अध्यक्ष महोदय, यह लोकतंत्र के हत्यारे हैं, हमारे गृह मंत्री जी की आवाज को दबाना चाहते हैं, संसदीय कार्य मंत्री को बोलने नहीं देना चाहते हैं, हम ऐसे लोगों को इस सदन में नहीं सुनेंगे, बिलकुल नहीं सुनेंगे। हम इनको सुनेंगे नहीं अध्यक्ष महोदय ...(व्यवधान)...

श्री प्रतापसिंह खाचरियावास (सिविल लाइन्स): हम इनको बिलकुल नहीं सुनेंगे ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: कृपया प्रश्नकाल को चलने दें। माननीय सदस्य विराजें ...(व्यवधान)...

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): अध्यक्ष महोदय, ऐसे लोगों को बिलकुल नहीं सुनेंगे, हम ऐसे लोगों को बिलकुल नहीं सुनेंगे ...(व्यवधान)...

(सत्तापक्ष के अनेक माननीय सदस्यों द्वारा सदन में हंगामा)

(प्रतिपक्ष के अनेक माननीय सदस्यों द्वारा सदन में हंगामा)

श्री अध्यक्ष: मंत्री जी उत्तर दे रहे हैं, उत्तर आने दें। सदन की कार्यवाही कृपया चलने दें। ...(व्यवधान)... कैसे चलेगा सदन इस प्रकार से? कृपया प्रश्नकाल चलने दे।

मैं सदन की कार्यवाही एक घंटे के लिए स्थगित करता हूं।

(तदनन्तर सदन की बैठक 11.02 बजे एक घंटे के लिए स्थगित हुई।)

भीम/अरुण/27.7.09/12.02/1g

(12.02 बजे)

पुन: समवेत् होने पर

(श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत, अध्यक्ष पदासीन)

श्री हेमसिंह भड़ाना (थानागाजी): माननीय अध्यक्ष महोदय, ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: कृपया विराजें।

श्री हेमसिंह भड़ाना (थानागाजी): ...(व्यवधान)... हजारों की तादाद में गुर्जर पड़ाव डाले हुए हैं, डेरा डाले हुए हैं और आपकी सरकार हमारे सम्पूर्ण बहुमत से ...(व्यवधान)...

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

श्री अध्यक्ष: मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है :-

श्रीमती अनिता सिंह एवं दो अन्य सदस्यों की ओर से जिला भरतपुर एवं अलवर में धार्मिक स्थलों पर हो रहे अवैध खनन से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

श्री हनुमान बेनीवाल सदस्य की ओर से राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय, कोटा ...(व्यवधान)...

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): माननीय अध्यक्ष महोदय, ये लोकतंत्र में ...(व्यवधान)... रखने वाले लोग हैं। इन्होंने राजस्थान के गृह मंत्री को तीन दिन से इस सदन में बोलने नहीं दिया है लगातार संसदीय कार्य मंत्री का ये बहिष्कार कर रहे हैं। उनको बोलने से रोक रहे हैं, उनके विशेषाधिकार का हनन कर रहे हैं माननीय अध्यक्ष महोदय।...(व्यवधान)...

श्री प्रतापसिंह खाचरियावास (सिविल लाइन्स): माननीय अध्यक्ष महोदय, पिछले तीन दिन से जो लोग सदन नहीं चलाने चाहते हैं वो लोग राजस्थान का माहौल खराब कर रहे हैं। हम आपसे निवेदन कर रहे हैं आप व्यवस्था दें।

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): माननीय अध्यक्ष महोदय, सदन के बाहर जिस तरह की

बयानबाजी और जिस तरह का गैरजिम्मेदाराना प्रतिपक्ष का रवैया है ...(व्यवधान)...

श्री प्रतापसिंह खाचरियावास (सिविल लाइन्स): और हमारे गृह मंत्री को जो लोग नहीं सुनना चाहते तो हम भी उन लोगों को नहीं सुनना चाहते।

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): ...(व्यवधान)... ऐसे लोगों को इस सदन में नहीं सुनेंगे।

(भारतीय जनता पार्टी के अनेक माननीय सदस्य सदन कूप में आकर बोलने लगे।)

श्री अध्यक्ष: ... एम.बी.ए. द्वितीय सेमेस्टर की परीक्षा के बीच मात्र 60 दिन का अन्तर होने से छात्रों को हो रही परेशानी के संबंध में। ...(व्यवधान)... ये क्या तमीज है? ...(व्यवधान)... बोलो तो सही।

श्री प्रतापसिंह खाचरियावास (सिविल लाइन्स): माननीय अध्यक्ष महोदय, पूरा राजस्थान इनका कृत्य देख रहा है। ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: सदन की कार्यवाही एक घंटे के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनंतर सदन की बैठक 12.04 बजे एक घण्टे के लिए स्थगित हुई।)

कैलाश/अरुण 27.07.09 13.00 (1) 1n

(13.04 बजे)

पुन: समवेत् होने पर

(श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत, अध्यक्ष, पदासीन)

श्रीमती वसुन्धरा राजे (नेता,प्रतिपक्ष): अध्यक्ष महोदय, आरक्षण विधेयक, 2008 मेंविशेष पिछडा वर्ग के लिए 5 प्रतिशत और आर्थिक पिछडा वर्ग के लिये 14 प्रतिशत ...(व्यवधान)...

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): ...(व्यवधान)... अध्यक्ष महोदय, सदन में जिस तरह का रवैया प्रतिपक्ष के नेता ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: अभी कुछ चालू ही नहीं हुआ, ...(व्यवधान)... अभी कुछ शुरू ही नहीं हुआ ।

श्रीमती वसुन्धरा राजे (नेता,प्रतिपक्ष): ...(व्यवधान)... आरक्षण देने का प्रावधान था। ...(व्यवधान)...

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): ...(व्यवधान)... अध्यक्ष महोदय, जिस तरह की बात, जिस तरह का रवैया ...(व्यवधान)... अध्यक्ष महोदय, यह हरगिज नहीं चलेगा।

श्रीमती वसुन्धरा राजे (नेता,प्रतिपक्ष): ...(व्यवधान)... यह दोनों एक ही बिल के अंग है। ...(व्यवधान)...

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): हमारे गृह मंत्री जी को नहीं बोलना देना चाह रहे हैं । ...(व्यवधान)... यह अराजकता पैदा करना चाहते है। ...(व्यवधान)...

श्रीमती वसुन्धरा राजे (नेता,प्रतिपक्ष): राज्य सरकार दोनों ही वर्गों के लिये बने आरक्षण बिल, 2008 पर महामहिम ...(व्यवधान)...

(भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में लगातार नारेबाजी)

(सत्ता पक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन में लगातार नारेबाजी)

श्री अध्यक्ष: ...(व्यवधान)...कुछ भी अंकित नहीं होगा।

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): [000]

श्रीमती वसुन्धरा राजे (नेता,प्रतिपक्ष): 000

(श्रीमती वसुन्धरा राजे, नेता प्रतिपक्ष द्वारा सदन पटल पर एक कागज रखा गया)

श्री प्रतापसिंह खाचरियावास (सिविल लाइन्स): 000

श्रीमती बीना काक (महिला एवं बाल विकास मंत्री): 000

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): 000

श्रीमती ममता भूपेश (सिकराय): 000

श्रीमती वसुन्धरा राजे (नेता,प्रतिपक्ष): 000

(भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में लगातार नारेबाजी)

(सत्ता पक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन में लगातार नारेबाजी)

Vps- Akt- 27.07.2009-13.10-1o-1

(भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारेबाजी)

(सत्ता पक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन में नारेबाजी)

नियम-295 के तहत विशेष उल्लेख

श्री अध्यक्ष: प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत प्रस्तावों को पढ़ा हुआ मान लिया गया। 295 के प्रस्तावों को पढ़ा हुआ मान लिया गया। हां, ये बेकार जाएंगे। ...(व्यवधान)...

पर्ची के माध्यम से उठाये गये मुद्दों पर व्यवस्था

आज दिनांक 27 जुलाई, 2009 को शून्य काल में बोलने हेतु 16 पर्चियां प्राप्त हुईं, जिनमें शलाका द्वारा 4 पर्चियां निकाली गयी हैं-

(1) श्रीमती संजना आगरी

(2) श्री ओम जोशी

(3) श्री केसाराम चौधरी

---

[000] अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया ।

(4) श्री रामहेत सिंह

श्रीमती संजना आगरी। (बोलने के लिए खड़ी नहीं हुईं।)

श्री ओम जोशी। (बोलने के लिए खड़े नहीं हुए।)

श्री केसाराम चौधरी। (बोलने के लिए खड़े नहीं हुए।)

श्री रामहेत सिंह। (बोलने के लिए खड़े नहीं हुए।)

सदन की कार्यवाही एक घंटे के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 13.14 बजे एक घण्टे के लिए स्थगित हुई।)

शिव/चौहान/27.7.2009/14.10/2d

(14.14 बजे)

पुन: समवेत होने पर

(श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत, अध्यक्ष, पदासीन)

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): अध्यक्ष महोदय .... (व्यवधान)

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): (व्यवधान)... +++ लोग आज गुर्जरों के हमदर्द बन गये। ...(व्यवधान)..

श्री प्रतापसिंह खाचरियावास (सिविल लाइन्स): अध्यक्ष महोदय, जिस तरह का माहौल है ... (व्यवधान)...

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): +++ ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, कृपया आज बिराज जायें। सदन की कार्यवाही चलने दें। ...(व्यवधान)... कृपया सदन की कार्यवाही चलने दें माननीय सदस्य। ..(व्यवधान)..

(भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में प्रवेश एवं भारी शोरगुल)

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): आज यह घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। ..(व्यवधान).... इस सदन की कार्यवाही ...(व्यवधान)... जिन लोगों ने .... (व्यवधान)... जिस तरह का माहौल ...(व्यवधान).. बर्दाश्त नहीं किया जायेगा। ...(व्यवधान)...

(भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में भारी शोरगुल एवं नारेबाजी)

(सत्ता पक्ष के अनेक माननीय सदस्यों द्वारा सदन में भारी शोरगुल एवं नारेबाजी)

(माननीय सदस्य, श्री रामलाल गुर्जर आसन के पास जाकर सो गये।)

श्री अध्यक्ष: बेहोश हो गये क्या ? ..(व्यवधान)... अगर बेहोश हो गये तो बाहर ले जाने दो। ..(व्यवधान)... बेहोश गये हैं क्या ? तब तो बाहर भिजवाऊं। ..(व्यवधान)..

श्री प्रतापसिंह खाचरियावास (सिविल लाइन्स): 70 गुर्जरों को ...(व्यवधान)... आप लोगों ने गोलियां चलाईं। आप भले नहीं हो जाओगे। ...(व्यवधान)...

+++ अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में भारी शोरगुल एवं नारेबाजी)

(सत्ता पक्ष के अनेक माननीय सदस्यों द्वारा सदन में भारी शोरगुल एवं नारेबाजी)

श्री अध्यक्ष: सदन की कार्यवाही 15 मिनट के लिये स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 14.19 बजे 15 मिनट के लिये स्थगित हुई।)

solanki/usc/27.07.09/14.30/2f

(14.34 बजे)

पुन: समवेत होने पर

(श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत, अध्यक्ष, पदासीन)

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): अध्यक्ष महोदय, यह रवैया बिलकुल ठीक नहीं है। ...(व्यवधान)

(भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा वैल में प्रवेश एवं नारेबाजी)

श्री अध्यक्ष: चला तो रहा हूं। बिराजो तो सही। ...(व्यवधान) याचिकाओं का उपस्थापन।

याचिकाओं का उपस्थापन

श्री अमरारामजी। (बोलने के लिए खड़े नहीं हुए)

श्री मंगलारामजी गोदारा।

याचिकाओं का उपस्थापन

श्री मंगलाराम गोदारा (डूंगरगढ़): अध्यक्ष महोदय, मैं ग्राम पंचायत मुख्यालय इंद्रपालसर सांखलान तहसील-श्री डूंगरगढ़ में प्राथमिक विद्यालय को माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करने बाबत् एक याचिका उपस्थापित करता हूं।

श्री अध्यक्ष: श्रीमती अन्जू खन्गवाल। (बोलने के लिए खड़ी नहीं हुईं)

श्री पेमाराम। (बोलने के लिए खड़े नहीं हुए)

श्री पवन कुमार दुग्गल। (बोलने के लिए खड़े नहीं हुए)

श्री महेन्द्र चौधरी।

श्री महेन्द्र चौधरी (नावां): अध्यक्ष महोदय, विधान सभा क्षेत्र नावां की ग्राम पंचायत देवली कलां के ग्राम कालिया के बास स्थित वैकल्पिक विद्यालय को पुन: शुरू करने बाबत् एक याचिका का उपस्थापन करता हूं।

श्री अध्यक्ष: ध्यानाकर्षण प्रस्ताव।

श्री कालीचरण सराफ। (बोलने के लिए खड़े नहीं हुए)

श्री राजपाल सिंह शेखावत। (बोलने के लिए खड़े नहीं हुए) ...(व्यवधान)

श्री करण सिंह राठौड़। (बोलने हेतु खड़े नहीं हुए)

परिवतर्तित आय-व्ययक अनुमान वर्ष 2009-2010 अनुदान की मांगों पर विचार एवं मतदान। श्री शांति कुमार धारीवाल, गृह मंत्री एवं श्री रामकिशोर, कारागार मंत्री।

(सदन के वैल में शोरगुल एवं नारेबाजी)

परिवतर्तित आय-व्ययक अनुमान वर्ष 2009-2010. अनुदान की मांगों पर विचार एवं मतदान

अनुदान की मांग

मांग संख्या 16 - पुलिस की प्रस्तुति

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या 16 पुलिस के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2010 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 19,63,71,12,000 (उन्नीस अरब तिरेसठ करोड़ इकहत्तर लाख बारह हजार) तक की राशि जिसमें लेखानुदान द्वारा प्रदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जावे।

मांग संख्या 17 - कारागार की प्रस्तुति

श्री रामकिशोर सैनी (राज्य मंत्री, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या 17 करागार के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2010 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 72,45,86,000 (बहत्तर करोड़ पैंतालीस लाख छियासी हजार) तक की राशि जिसमें लेखानुदान द्वारा प्रदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जावे।

(भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा सदन में नारेबाजी)

श्री अध्यक्ष: वाद-विवाद में भाग लेंगे।

डा0 परम। (बोलने के लिए खड़ी नहीं हुए)

श्री रघु शर्मा। (बोलने के लिए खड़े नहीं हुए)

श्री शांति कुमार धारीवाल उत्तर देंगे।

मांग संख्या 16 व 17 पर विचार

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं कट मोशंस के जवाब माननीय सदस्यों को शीघ्रातिशीघ्र भेज दूंगा तथा उनको इस बात के लिए धन्यवाद देता हूं कि उनके द्वारा सुझाव जो मुझे प्रेषित किये गये हैं उन सुझावों पर सरकार विचार करेगी। मेरा अनुरोध है कि मेरा वक्तव्य पढ़ा हुआ मान लिया जावे और कार्यवाही का अंश बनाया जावे तथा मांग संख्या 16 को पारित किया जावे।

(गृह मंत्री के वक्तव्य के लिए कृपया परिशिष्ट 1 देखें)

श्री रामकिशोर सैनी (राज्य मंत्री, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता): माननीय अध्यक्ष महोदय, सदन में हो रहे लगातार अवरोध एवं व्यवधान के कारण अनुदान की मांग संख्या 17 के सम्बन्ध में सदन में राज्य सरकार की ओर से उत्तर एवं नवीन

घोषणाएं नहीं कर पा रहा हूं। अतः मेरा आपसे निवेदन है कि मेरे इस उत्तर एवं महत्वपूर्ण घोषणाओं को विधान सभा की कार्यवाही में शामिल किया जावे।

(कारागार राज्य मंत्री के वक्तव्य के लिए कृपया परिशिष्ट 2 देखें)

महोदय, आपकी अनुमति से इस जवाब एवं मांग की प्रति मैं सदन की पटल पर रखता हूं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि मांग संख्या 17 को पारित किया जावे। धन्यवाद।

मांग संख्या 16 का पारण

श्री अध्यक्षः प्रश्न यह है कि मांग संख्या 16 पुलिस के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2010 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 19 अरब 63 करोड़ 71 लाख 12 हजार तक की राशि जिसमें लेखानुदान द्वारा प्रदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जावे?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या - 17 का पारण

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 17 कारागार के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2010 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 72 करोड़ 45 लाख 46 हजार तक की राशि जिसमें लेखानुदान द्वारा प्रदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जावे?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई। ...(व्यवधान)

msr/usc/14.40/27.7.2009/2g/1/

पुरःस्थापित किया जाने वाला विधेयक।

राजस्थान विनियोग (संख्या-4) विधेयक, 2009. श्री अशोक गहलोत, प्रभारी मंत्री।

श्रीमती बीना काक (महिला एवं बाल विकास मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान विनियोग (संख्या-4) विधेयक, 2009 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करती हूं। ...(व्यवधान)...

प्रस्ताव करती हूं। प्रस्ताव हो गया, बस। प्रस्ताव करती हूं, पढ़ दिया, पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करती हूं।

(भारतीय जनता पार्टी के मा0 सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारेबाजी)

मुखबंद

अनुदान की शेष मांगों का पारण

श्री अध्यक्षः मुखबंद।

मांग संख्या-1

'प्रश्न यह है कि मांग संख्या -1- राज्य विधान मंडल के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2010 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 25,98,93,000/- (पच्चीस करोड़ अठानवे लाख तिरानवे हजार) तक की राशि जिसमें लेखानुदान द्वारा प्रदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जावे ?'

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या-2

'प्रश्न यह है कि मांग संख्या -2- मंत्रिपरिषद के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2010 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 7,29,62,000/- (सात करोड़ उनतीस लाख बासठ हजार) तक की राशि जिसमें लेखानुदान द्वारा प्रदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जावे ?'

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या-3

'प्रश्न यह है कि मांग संख्या -3- सचिवालय के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2010 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 1,30,22,38,000/-(एक अरब तीस करोड़ बाईस लाख अड़तीस हजार) तक की राशि जिसमें लेखानुदान द्वारा प्रदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जावे ?'

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या-4

'प्रश्न यह है कि मांग संख्या -4- जिला प्रशासन के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2010 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 2,73,02,14,000/- (दो अरब तिहत्तर करोड़ दो लाख चौदह हजार) तक की राशि जिसमें लेखानुदान द्वारा प्रदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जावे ?'

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या-5

'प्रश्न यह है कि मांग संख्या -5- प्रशासनिक सेवाएं के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2010 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 88,03,61,000/- (अठयासी करोड़ तीन लाख इकसठ हजार) तक की राशि जिसमें लेखानुदान द्वारा प्रदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जावे ?'

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

(भारतीय जनता पार्टी के मा0 सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारेबाजी)

मांग संख्या-6

'प्रश्न यह है कि मांग संख्या -6- न्याय प्रशासन के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2010 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 3,13,65,79,000/- (तीन अरब तेरह करोड़ पैंसठ लाख उनयासी हजार) तक की राशि जिसमें लेखानुदान द्वारा प्रदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जावे ?'

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या-8

'प्रश्न यह है कि मांग संख्या -8- राजस्व के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2010 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 4,27,51,75,000/- (चार अरब सत्ताईस करोड़ इक्यावन लाख पिचहत्तर हजार) तक की राशि जिसमें लेखानुदान द्वारा प्रदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जावे ?'

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या-9

'प्रश्न यह है कि मांग संख्या -9- वन के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2010 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 4,76,06,55,000/- (चार अरब छिहत्तर करोड़ छह लाख पचपन हजार) तक की राशि जिसमें लेखानुदान द्वारा प्रदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जावे ?'

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या-10

'प्रश्न यह है कि मांग संख्या -10- विविध सामान्य सेवाएं के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2010 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 22,66,87,000/- (बाईस करोड़ छियासठ लाख सत्यासी हजार) तक की राशि जिसमें लेखानुदान द्वारा प्रदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जावे ?'

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या-11

'प्रश्न यह है कि मांग संख्या -11- विविध सामाजिक सेवाएं के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2010 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय

को रुपये 25,84,72,000/- (पच्चीस करोड़ चौरासी लाख बहत्तर हजार) तक की राशि जिसमें लेखानुदान द्वारा प्रदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जावे ?'

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या-12

'प्रश्न यह है कि मांग संख्या -12- अन्य कर के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2010 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 1,27,72,32,000/- (एक अरब सत्ताईस करोड़ बहत्तर लाख बत्तीस हजार) तक की राशि जिसमें लेखानुदान द्वारा प्रदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जावे ?'

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या-13

'प्रश्न यह है कि मांग संख्या -13- आबकारी के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2010 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 78,67,80,000/- (अठहत्तर करोड़ सडसठ लाख अस्सी हजार) तक की राशि जिसमें लेखानुदान द्वारा प्रदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जावे ?'

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

(भारतीय जनता पार्टी के मा0 सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारेबाजी)

मांग संख्या-14

'प्रश्न यह है कि मांग संख्या -14- बिक्री कर के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2010 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 1,37,43,28,000/- (एक अरब सैतीस करोड़ तियालीस लाख अट्ठाईस हजार) तक की राशि जिसमें लेखानुदान द्वारा प्रदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जावे ?'

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या-15

'प्रश्न यह है कि मांग संख्या -15- पेंशन व अन्य सेवानिवृत्ति लाभ के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2010 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 45,53,59,85,000/- (पैतालीस अरब तिरपन करोड़ उनसठ लाख पिचयासी हजार) तक की राशि जिसमें लेखानुदान द्वारा प्रदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जावे ?'

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या-18

'प्रश्न यह है कि मांग संख्या -18- जन सम्पर्क के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2010 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 23,24,46,000/- (तेईस करोड़ चौबीस लाख छियालीस हजार) तक की राशि जिसमें लेखानुदान द्वारा प्रदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जावे ?'

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या-19

'प्रश्न यह है कि मांग संख्या -19- लोक निर्माण कार्य के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2010 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 4,80,16,71,000/- (चार अरब अस्सी करोड़ सोलह लाख इकहत्तर हजार) तक की राशि जिसमें लेखानुदान द्वारा प्रदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जावे ?'

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या-20

'प्रश्न यह है कि मांग संख्या -20- आवास के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2010 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 45,55,06,000/- (पैतालीस करोड़ पचपन लाख छह हजार) तक की राशि जिसमें लेखानुदान द्वारा प्रदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जावे ?'

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या-21

'प्रश्न यह है कि मांग संख्या -21- सड़कें एवं पुल के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2010 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 16,38,47,06,000/- (सोलह अरब अड़तीस करोड़ सैंतालीस लाख छह हजार) तक की राशि जिसमें लेखानुदान द्वारा प्रदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जावे ?'

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

(भारतीय जनता पार्टी के मा0 सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारेबाजी)

मांग संख्या-22

'प्रश्न यह है कि मांग संख्या -22- क्षेत्र का विकास के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2010 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 2,67,38,65,000/- (दो अरब सडसठ करोड़ अड़तीस लाख पैंसठ हजार) तक की राशि जिसमें लेखानुदान द्वारा प्रदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जावे ?'

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

Ars/usc/1450/2h/27072009/1

मांग संख्या-23

'प्रश्न यह है कि मांग संख्या -23- श्रम और रोजगार के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2010 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 1,25,72,11,000/- (एक अरब पच्चीस करोड़ बहत्तर लाख ग्यारह हजार) तक की राशि जिसमें लेखानुदान द्वारा प्रदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जावे ?'

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या-25

'प्रश्न यह है कि मांग संख्या -25- कोषागार व लेखा प्रशासन के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2010 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 1,15,73,44,000/- (एक अरब पन्द्रह करोड़ तिहत्तर लाख चवालीस हजार) तक की राशि जिसमें लेखानुदान द्वारा प्रदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जावे ?'

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या-29

'प्रश्न यह है कि मांग संख्या -29- नगर आयोजना एवं प्रादेशिक विकास के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2010 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 15,83,03,82,000/- (पन्द्रह अरब तिरासी करोड़ तीन लाख बयासी हजार) तक की राशि जिसमें लेखानुदान द्वारा प्रदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जावे ?'

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या-32

'प्रश्न यह है कि मांग संख्या -32- नागरिक आपूर्ति के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2010 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 56,50,66,000/- (छप्पन करोड़ पचास लाख छियासठ हजार) तक की राशि जिसमें लेखानुदान द्वारा प्रदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जावे ?'

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

(भारतीय जनता पार्टी के मा0 सदस्यों द्वारा सदन कूप में भाषण एवं नारेबाजी)

मांग संख्या-33

'प्रश्न यह है कि मांग संख्या -33- सामाजिक सुरक्षा और कल्याण के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2010 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 13,68,81,11,000/- (तेरह अरब अड़सठ करोड़ इक्यासी लाख ग्यारह हजार) तक की राशि जिसमें लेखानुदान द्वारा प्रदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जावे ?'

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या-35

'प्रश्न यह है कि मांग संख्या -35- विविध सामुदायिक एवं आर्थिक सेवाएं के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2010 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 89,12,48,000/- (नवासी करोड़ बारह लाख अड़तालीस हजार) तक की राशि जिसमें लेखानुदान द्वारा प्रदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जावे ?'

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या-38

'प्रश्न यह है कि मांग संख्या -38- लघु सिंचाई एवं भूमि संरक्षण के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2010 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 1,22,02,62,000/- (एक अरब बाईस करोड़ दो लाख बासठ हजार) तक की राशि जिसमें लेखानुदान द्वारा प्रदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जावे ?'

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या-40

'प्रश्न यह है कि मांग संख्या -40 राजकीय उपक्रम के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2010 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 1,22,58,000/- (एक करोड़ बाईस लाख अट्ठावन हजार) तक की राशि जिसमें लेखानुदान द्वारा प्रदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जावे ?'

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

(भारतीय जनता पार्टी के मा0 सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारेबाजी)

मांग संख्या-41

'प्रश्न यह है कि मांग संख्या -41- सामुदायिक विकास के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2010 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 12,71,08,34,,000/- (बारह अरब इकहत्तर करोड़ आठ लाख चौंतीस हजार) तक की राशि जिसमें लेखानुदान द्वारा प्रदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जावे ?'

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या-43

'प्रश्न यह है कि मांग संख्या -43- खनिज के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2010 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 72,71,29,000/- (बहत्तर करोड़ इकहत्तर लाख उनतीस हजार) तक की राशि जिसमें लेखानुदान द्वारा प्रदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जावे ?'

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या-44

'प्रश्न यह है कि मांग संख्या -44- लेखन सामग्री एवं मुद्रण के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2010 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 26,63,11,000/- (छब्बीस करोड़ तिरसठ लाख ग्यारह हजार) तक की राशि जिसमें लेखानुदान द्वारा प्रदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जावे ?'

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या-45

'प्रश्न यह है कि मांग संख्या -45- राज्य कर्मचारियों को ऋण के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2010 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 9,000/- (नौ हजार) तक की राशि जिसमें लेखानुदान द्वारा प्रदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जावे ?'

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या-48

'प्रश्न यह है कि मांग संख्या -48- विद्युत के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2010 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 31,81,33,77,000/- (इकतीस अरब इक्यासी करोड़ तैंतीस लाख सतहत्तर हजार) तक की राशि जिसमें लेखानुदान द्वारा प्रदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जावे ?'

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या-49

'प्रश्न यह है कि मांग संख्या -49- स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं को मुआवजा और समनुदेशन के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2010 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 11,14,77,000/-

(ग्यारह करोड़ चौदह लाख सतहत्त्र हजार) तक की राशि जिसमें लेखानुदान द्वारा प्रदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जावे ?'

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

(भारतीय जनता पार्टी के मा0 सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारेबाजी)

मांग संख्या-51

'प्रश्न यह है कि मांग संख्या -51- अनुसूचित जाति के कल्याण हेतु विशिष्ट संघटक योजना के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2010 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 5,57,86,75,000/- (पाँच अरब सत्तावन करोड़ छियासी लाख पिचहत्तर हजार) तक की राशि जिसमें लेखानुदान द्वारा प्रदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जावे ?'

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

विधायी कार्य: विधेयक का पुर:स्थापन

राजस्थान विनियोग (संख्या-4) विधेयक, 2009

विधायी कार्य। पुर:स्थापित किया जाने वाला विधेयक।

रास्थान विनियोग (संख्या-4) विधेयक, 2009. श्री अशोक गहलोत।

श्रीमती बीना काक (महिला एवं बाल विकास मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करती हूं कि राजस्थान विनियोग (संख्या-4) विधेयक, 2009 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाय।

(भारतीय जनता पार्टी के मा0 सदस्यों द्वारा सदन कूप में भाषण एवं नारेबाजी)

श्री प्रतापसिंह खाचरियावास (सिविल लाइन्स): अध्यक्षजी, इनका चेहरा पूरा राजस्थान देख रहा है, असली चेहरा सामने आ गया। ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि राजस्थान विनियोग (संख्या-4) विधेयक, 2009 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाय?

(स्वीकृत)

विधेयक को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गई।

प्रभारी मंत्री विधेयक को पुर:स्थापित भी करेंगे।

श्रीमती बीना काक (महिला एवं बाल विकास मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान विनियोग (संख्या-4) विधेयक, 2009 को पुर:स्थापित करती हूं।

(भारतीय जनता पार्टी के मा0 सदस्यों द्वारा सदन कूप में भाषण व नारेबाजी)

श्री अध्यक्ष: आधे घंटे की चर्चा।

श्री घनश्याम तिवाड़ी। श्री घनश्याम तिवाड़ी। ...(व्यवधान)...

श्री प्रतापसिंह खाचरियावास (सिविल लाइन्स): हिम्मत हो तो चर्चा में भाग ले लो न, फैसला हो जायेगा कौन ...(व्यवधान)...

(भारतीय जनता पार्टी के मा0 सदस्यों द्वारा सदन कूप में भाषण व नारबाजी)

श्री अध्यक्ष: सदन की बैठक मंगलवार, दिनांक 28 जुलाई, 2009 के प्रात: 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 14.58 बजे मंगलवार, दिनांक 28 जुलाई, 2009 के 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

परिशिष्ट 1

(श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री) द्वारा सदन पटल पर रखा गया वक्तव्य)

1. पूर्व सरकार की गलत नीतियों के कारण प्रदेश में ऐसे हालात पैदा हो गये कि आमजन का सरकारी तंत्र से विश्वास उठ गया। अपराधियों को बढ़ावा मिलने लगा क्योंकि छोटी से छोटी समस्या का समाधान नहीं मिला तो लोगों ने अपना गुस्सा सरकारी कर्मियों पर, खासकर पुलिस पर निकाला।

2. वर्ष 2008 में सरकारी कर्मियों के साथ हुई मारपीट में 1566 प्रकरण दर्ज हुये जिनमें से 373 प्रकरण पुलिस के साथ मारपीट के हैं। जून, 2009 तक भी 848 प्रकरण दर्ज हुए हैं। जिनमें से 236 प्रकरण पुलिस पिटाई हैं। आज पुलिस के मनोबल में भारी गिरावट हुई है।

3. पूर्व सरकार के समय में पुलिस विभाग में भर्ती, पदोन्नति एवं पदस्थापन में स्थापित नीतियों की व्यापक रूप से की गयी अवहेलना के कारण पुलिस कार्य प्रणाली पर विपरीत असर पडा जिसके कारण अपराधों में वृद्धि हुई एवं पुलिस का मनोबल टूटा।

4. पूर्व सरकार द्वारा पुलिस विभाग में अक्षम व दागी छवि वाले अधिकारियों को नियम विरुद्ध पदोन्नति दी गई। दारिया प्रकरण के दोषी एस.ओ.जी. में तैनात उ.नि./कर्मचारी पदोन्नत किये गये। भ्रष्टाचार निरोधक विभाग द्वारा भी भर्ती के कार्य में रिश्वत की शिकायत पर ट्रैप किया गया।

5. पिछली सरकार की असंवेदनशीलता व नकारात्मक राजनीति के कारण राज्य में जातीय वैमनस्यता को बढ़ावा मिला। गुर्जर आरक्षण आन्दोलन के चलते सारे राज्य में अशांति फैल गई, नेशनल हाईवे तक जाम हो गये। हजारों लोग सड़कों पर अटक गये। प्रदेश पूरी तरह से देश से कट गया।

6. पिछले वर्षों की तुलना में महिलाओं में जागृति आने एवं स्वच्छन्द रूप से अभियोग पंजीकरण किये जाने से महिला अत्याचार के अपराधों का अधिक पंजीकरण हुआ है, जो समग्र आंकड़ों में वृद्धि का एक कारण है।

7. वर्तमान सरकार द्वारा इन्टेलीजेन्स विभाग का सुदृढ़ीकरण और ए.टी.एस. की स्थापना की गई और आई.आर. बटालियन बढ़ाने का प्रस्ताव भारत सरकार के पास भिजवाया गया जो विचाराधीन है।

8. बढ़ते आतंकवाद से निपटने के लिए राज्य सरकार तत्पर है। फौज के विशेषज्ञ अधिकारियों द्वारा ई.आर.टी. (Emergency Response Team) को विशेष प्रशिक्षण दिया जा रहा है। ई.आर.टी. के प्रशिक्षित कमाण्डो को रेंज मख्यालय पर तैनात किया गया है। यह टीमें भविष्य में मुम्बई जैसे आतंककारी हमने से निपटने के लिए पूर्णत: सक्षम है।

(क) पुलिस विभाग

क्र.सं.	विषय	विवरण	राशि लाख रु.
1	मैस भत्ता	725/- रु. से बढ़ाकर 775/- रु. प्रतिमाह	223.75
2	कर्मचारी कल्याण निधि	-	30.00
3	राजस्थान पुलिस हितकारी निधि	-	40.00
4	स्पोर्टस फण्ड	-	15.00
5	उत्सव फण्ड	-	20.00
6	अंशकालीन रसोइयों की दरों में वृद्धि	1500/- रु. से बढ़ाकर 2500/- रु. प्रतिमाह	131.60
7	वर्दी सिलाई चार्जेज में बढ़ोतरी	95/-रु. प्रतिवर्ष से बढ़ाकर 200/- प्रतिवर्ष	76.17
	योग		536.52

गृह रक्षा एवं नागरिक सुरक्षा विभाग में प्रस्तावित की जाने वाली घोषणाएं

(ख) होमगार्ड विभाग:

1. मैस भत्ता 725/- रु. से बढ़ाकर 775/- रु. प्रतिमाह पुलिस विभाग के समान किया जा रहा है।

2. गृह रक्षा एवं नागरिक सुरक्षा विभाग में अग्निशमन सेवा के कांस्टेबल तथा विभाग के सभी कांस्टेबल ड्राईवरों को वर्तमान में मैस भत्ता नहीं दिया जा रहा है। समानता बनाने की दृष्टि से इनको भी 775/- रुपये प्रतिमाह मैस भत्ता दिया जावेगा।

3. होमगार्ड कर्मियों के उत्साह वर्धन, लम्बी एवं गम्भीर बीमारियों के ईलाज के लिए आर्थिक सहायता दिये जाने/ऋण प्रदान किये जाने एवं प्रशिक्षण/ड्यूटी के दौरान गम्भीर रूप से घायलों को आर्थिक सहायतार्थ स्थापित कर्मचारी कल्याण निधि में गत

वर्ष की भांति इस वर्ष भी 5.00 लाख रुपये काक अनुदान दिये जाने का निर्णय लिया गया है।

4. विभाग के संस्थागत उत्सवों यथा नागरिक सुरक्षा दिवस आदि के लिए पुलिस विभाग की तरह ही इस वर्ष होमगार्ड कर्मियों के लिए भी उत्सव फण्ड में 2.00 लाख रुपये का अनुदान दिये जाने का निर्णय लिया गया है।

5. पुलिस विभाग की तरह होमगार्ड विभाग में भी पार्ट टाईम लांगरी/रसोइयों को वर्तमान में दिये जा रहे 1500/- रुपये प्रतिमाह पारिश्रमिक को बढ़ाकर 2500/- रुपये प्रतिमाह किये जाने का निर्णय लिया गया है।

6. सीमा गृह रक्षा दल के कांस्टेबलों/हैड कांस्टेबलों को वर्तमान में वर्दी धुलाई भत्ता नहीं दिया जा रहा है, इनको भी 50/- रुपये प्रतिमाह वर्दी धुलाई भत्ता दिया जावेगा।

7. गृह रक्षा एवं नागरिक सुरक्षा विभाग में स्वयं सेवकों को ड्यूटी भत्ता वर्तमान में 120/- रुपये प्रति दिवस दिया जा रहा है। गत वर्षों में ड्यूटी भत्ते में 10 रुपये प्रति दिवस की वृद्धि की जाती रही है, इस वर्ष इसमें 30 रुपये प्रति दिवस की वृद्धि करते हुए 150/- रुपये प्रतिदिन ड्यूटी भत्ता दिये जाने का निर्णय लिया गया है।

8. स्वयं सेवकों को वर्तमान में दिये जा रहे प्रशिक्षण भत्ते को 35 रुपये प्रतिदिन से बढ़ाकर 50 रुपये प्रतिदिन किये जाने का निर्णय लिया गया है।

9. स्वयं सेवकों को वर्तमान में दिये जा रहे परिवहन भत्ते को 8 रुपयेय प्रतिदिन से बढ़ाकर 12 रुपये प्रति दिन किये जाने का निर्णय लिया गया है।

परिशिष्ट 2
(कारागार राज्य मंत्री द्वारा सदन पटल पर रखा गया वक्तव्य)

माननीय अध्यक्ष महोदय, मांग संख्या-17 कारागार विभाग के सम्बन्ध में कुल 99 कटौती प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। माननीय सदस्यों द्वारा मांग संख्या 17 पर कटौती प्रस्तावों के जरिये रचनात्मक अमूल्य सुझाव दिये गये हैं, मैं उनका हृदय से आभारी हूं और इस सदन में विश्वास दिलाना चाहूंगा कि कारागार विभाग के मांग संख्या 17 पर कटौती प्रस्तावों के माध्यम से माननीय सदस्यों द्वारा कारागार विभाग में सुधार के लिये, बंदियों के कल्याण एवं आचरण सुधार के लिये तथा अपराधियों में विधि के प्रति सम्मान का भाव बनाये रखने जैसे महत्वपूर्ण सुझाव दिये गये हैं, उन पर सरकार निश्चित रूप से आवश्यक कदम उठायेगी। माननीय सदस्यों को सम्बन्धित कटौती प्रस्तावों के जवाब अविलम्ब भिजवा दिये जायेंगे।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है तथा समाज में व्यवस्था कायम रहे, इसके लिये कुछ परम्परायें एवं सीमायें तय की हुई होती हैं व इनका निर्धारण कानून एवं नियम बनाकर किया जाता है। समाज में इनका उल्लंघन करने वालों को दण्डित करने एवं आपराधिक प्रवृत्तियों पर अंकुश लगाने की दृष्टि से यह आवश्यक है कि न्यायालय से अभिरक्षा में भेजे गये व्यक्तियों को समुचित अभिरक्षा में रखते हुए विधि के प्रति उनमें सम्मान का भाव जागृत करना तथा अभिरक्षा में ऐसी शिक्षा देना एवं रोजगारोन्मुख कार्य सिखाना जिससे कि वे रिहा होने के पश्चात् उद्देश्यपूर्ण जीवन व्यतीत कर राष्ट्र के लिये उपयोगी नागरिक साबित हो सकें।

माननीय अध्यक्ष महोदय, जेल विभाग की संरचना एवं प्रशासनिक व्यवस्था के संबंध में मैं सदन को अवगत कराना चाहूंगा कि कारागार विभाग को प्रशासनिक दृष्टिकोण से सात मंडलों – उदयपुर, कोटा, जोधपुर, बीकानेर, जयपुर, अजमेर व भरतपुर मण्डल में विभाजित किया हुआ है। इसी प्रकार कारागार विभाग की 108 जेलों में क्रमशः 8 केन्द्रीय कारागृह, 3 जिला ए श्रेणी कारागृह, 22 जिला बी श्रेणी कारागृह, 59 उप कारागृह, 2 महिला बंदी सुधार गृह, 1 किशोर बंदी सुधार गृह, 13 बंदी खुला शिविर सम्मिलित है। इसके अतिरिक्त एक जेल प्रशिक्षण संस्था भी संचालित है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, दिनांक 30.6.2009 के बंदी आंकड़ों के अनुसार जेल विभाग राजस्थान में 8 केन्द्रीय कारागृहों में सभी प्रकार के दंडित व विचाराधीन 8780 बंदी रखे जा रहे हैं। जिला कारागृह 'ए' श्रेणी की 3 जेलों में 10 वर्ष तक के दंडित तथा अन्य विचाराधीन कुल 1311 बंदी, जिला कारागृह 'बी' श्रेणी की 22 जेलों में 3 वर्ष तक की सज़ा व अन्य विचाराधीन 2924 बंदी, 59 उप कारागृह में 3 माह तक की सज़ा वाले व अन्य विचाराधीन 2753 कैदी, 2 महिला बंदी सुधार गृह में सभी प्रकार की 274 महिला कैदी तथा 1 किशोर गृह में 18 से 21 उम्र के 38 दंडित कैदी, और 13 खुले बंदी

शिविरों में 490 पात्र कैदी रखे जा रहे हैं। वर्तमान में राज्य की 33 जेलों में 2141 बंदी क्षमता से अधिक हैं, जिनमें 4 केन्द्रीय कारागृह यथा जयपुर, उदयपुर, अजमेर एवं कोटा में 1426 बंदी, 6 'बी' श्रेणी जिला कारागृहों में 253 बंदी तथा 23 उप कारागृहों में 462 बंदी स्वीकृत क्षमता से अधिक है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्य के जेल भवनों की स्थिति में सुधार एवं आधुनिक सुविधाओं युक्त नये भवन निर्मित कराने के लिये विभिन्न स्तरों पर प्रयास किये जा रहे हैं। जेल आधुनिकीकरण योजना 2009-09 के प्रथम चरण में केन्द्र और राज्य अंशदान के क्रमश: 75 व 25 प्रतिशत के आधार पर 65.15 करोड़ रुपयों का प्रावधान किया गया था। जिसमें 10 नये कारागृह भवन निर्मित कराने 46 वर्तमान कारागृह भवनों की मरम्मत व नवीनीकरण कराने व 44 वर्तमान कारागृह भवनों के सेनिटेशन और पानी सप्लाई व्यवस्था में सुधार कार्य तथा 295 स्टाफ आवास गृहों का निर्माण किया जाना था, तथा इसी योजना के अन्तर्गत केन्द्रीय व जिला कारागृह में सुरक्षा तथा तकनीकी उपकरणों की स्थापना 4 जेलों में योग कक्ष व महिला सुधार गृह जयपुर में बच्चों के लिये क्रेच की स्थापना का कार्य किया जाना था।

ये सभी कार्य लगभग पूर्ण कराये जा चुके हैं। इसी योजना में करौली में नये जेल भवन का निर्माण कार्य और विभिन्न जेलों में 66 स्टाफ आवास गृहों का निर्माण कार्य प्रगति पर है, जो इसी वित्तीय वर्ष के अन्त तक पूर्ण होने की संभावना है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, जेल आधुनिकीकरण द्वितीय चरण के लिये राज्य सरकार द्वारा गृह मंत्रालय भारत सरकार को 465 करोड़ 58 लाख रुपये के प्रस्ताव भेजे गये हैं। जो अभी गृह मंत्रालय भारत सरकार स्तर पर विचाराधीन है।

मैं सदन को जानकारी देना चाहूंगा कि राज्य योजना के अन्तर्गत माननीय नेता प्रतिपक्ष महोदया के निर्वाचन क्षेत्र झालावाड़ में नये जेल भवन का निर्माण करवाया जा रहा है। इसके साथ ही राज्य योजना वर्ष 2008-09 के अन्तर्गत 10 नये बंदी खुला शिविर (झुन्झुनूं, भीलवाड़ा, चित्तोड़गढ़, सीकर, प्रतापगढ़, धौलपुर, बाड़मेर, नागौर, टोंक एवं जैसलमेर) स्थापित करने के लिये एक करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। जिसमें कुल 100 बंदी आवास का निर्माण कार्य प्रगति पर है।

बंदी सुधार एवं कल्याणकारी कार्यक्रम :- राजस्थान जेल विभाग में विभिन्न कारागृहों में बंदियों को साक्षरता कार्यक्रमों व उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिये विभिन्न कार्यक्रमों से जोड़ा जा रहा है। जेलों में कम्प्यूटर व तकनीकी प्रशिक्षण की व्यवस्था के साथ ही विभिन्न उद्योग धन्धों का प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

तकनीकी प्रशिक्षण माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्य की 9 कारागृहों में दंडित बंदियों को विभिन्न व्यवसायों जैसे – दरी, निवार, कपड़ा, बुनाई सिलाई कार्य कारपेंटरी, होजरी व लुहारी कार्य सिखाये जा रहे हैं। कपड़ा बुनने के लिये पॉवर चलित मशीनें लगाई गई हैं। राज्य की तीन केन्द्रीय जेलों में डेजर्ट कूलर निर्माण कार्य किया जाकर बंदियों को न

केवल प्रशिक्षित किया जा रहा है, बल्कि इन उद्योगों में उत्पादन कार्य किया जाकर विक्रय भी किया जाता है। इसी प्रकार तकनीकी शिक्षा के अन्तर्गत केन्द्रीय कारागृह जयपुर में दंडित बंदियों को दो वर्षीय डिप्लोमा कोर्स फीटर व हाउस वायरमैन व्यवसाय से जोड़ा जा रहा है तथा इसके साथ ही एक एक वर्षीय डिप्लोमा कोर्स कारपेंटरी, कटिंग एण्ड स्वीईंग प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं।

अजमेर जेल में दो वर्षीय फीटर व एक वर्षीय डीजल मैकेनिक का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। ये सभी तकनीकी प्रशिक्षण कार्य राजस्थान तकनीकी शिक्षा विभाग की ओर से स्थापित आई टी आई के माध्यम से करवाये जाते हैं। इन सभी प्रशिक्षण कार्यक्रमों का सम्पूर्ण व्यय बंदी कल्याण कोष से किया जाता है।

साक्षरता कार्यक्रम के अन्तर्गत जेल के शिक्षित बंदियों द्वारा निरक्षर बंदियों को साक्षर करने के लिये विभिन्न जेलों की बंदी बैरिकों में साक्षरता अभियान चलाया जा रहा है जिसमें राज्य प्रौढ़ शिक्षा समिति, राजस्थान प्रसार समिति द्वारा भी सहयोग दिया जा रहा है। इसके अतिरिक्त इस कार्य में विभिन्न एन जी ओ का भी सहयोग लिया जा रहा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, उच्च शिक्षा हेतु शैक्षणिक योग्यता में उन्नति के अवसर देते हुए राज्य के माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित विभिन्न स्तरों की परीक्षाओं में भाग लेने की सुविधा सुलभ करवाई जा रही है। यही नहीं, केन्द्रीय जेल जयपुर में इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय का विशेष अध्ययन केन्द्र भी स्थापित है। साथ ही विभिन्न गैर सरकारी संगठनों के सहयोग से विशेष कम्प्यूटर प्रशिक्षण व टेलरिंग, फ्रीज, मरम्मत आदि प्रशिक्षण करवाये जा रहे हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आध्यात्मिक उन्नयन व विवेक जागरण हेतु समय समय पर राज्य की जेलों में विभिन्न धर्म और सम्प्रदायों से संबंधित विशेष आध्यात्मिक प्रवचन, पर्व-त्यौहारों के आयोजन, भजन-कीर्तन व प्रार्थनाएं निरन्तर करवाई जाती हैं, ताकि बंदी सकारात्मक सोच के साथ निरन्तर अपने आचरण में उत्तरोत्तर सुधार कर सकें। योग प्रशिक्षण आर्ट ऑफ लिविंग कार्यक्रम, प्रेक्षाध्यान, विपश्यना, जिन शिन जित्सु कला के विशेष आयोजन जेलों में किये जा रहे हैं। सद्ग्रन्थों व अच्छी सीख का वाचन एवं प्रवचन के कार्यक्रम भी आयोजित किये जाते हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, बंदी खेल प्रतियोगिता कार्यक्रमों में बंदियों में शारीरिक एवं मानसिक विकास के लिये अच्छी प्रतिभा को पहचान कर उनको निखारने के लिये जेलों के भीतर और विभिन्न जेलों के बीच बंदी खेलकूद यथा बॉलीवाल, कबड्डी, खो-खो, कैरम, संगीत साहित्य व अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रमों से संबंधित प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती है। बंदियों को टी.वी.कैसेट प्लेयर आदि की सुविधा है। बंदियों को समाचार पत्र, पत्रिकाएं, धार्मिक एवं सामाजिक पुस्तकें आदि उपलब्ध करायी जाती हैं। बंदी खेलकूद व सांस्कृतिक सप्ताह का आयोजन किया जाता है। बंदियों को विविध जानकारियां, विचार

गोष्ठियों के माध्यम से दी जा रही है और समाज के विभिन्न समूहों से जेल के बंदियों को जोड़ा जा रहा है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, भोजन व्यवस्था में राज्य में सभी बंदियों को एक ही श्रेणी में रखकर बिना किसी भेदभाव के निर्धारित मापदण्डों और गुणवत्ता के आधार पर राशन सामग्री उपलब्ध करवाई जाती है। रसोई में तैयार भोजन सामग्री को वितरित करने से पहले जेल चिकित्साधिकारी व जेल अधिकारी चखकर रजिस्टर में अंकित करके उसे समानता के आधार पर अपने सामने वितरित करवाते हैं। अन्य आवश्यक सामग्री में जैसे: ओढने बिछाने के बिस्तर, खाने-पीने के बर्तन सभी दंडित बंदियों को पहनने के कपड़े व चप्पल उपलब्ध करवाये जाते हैं। प्रत्येक बंदी को तेल, साबुन व मंजन उपलब्ध करवाया जाता है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, बीमार बंदियों की चिकित्सा व्यवस्था- बंदियों की चिकित्सा व्यवस्था हेतु सभी कारागृहों में पूर्णकालीन एवं अंशकालीन चिकित्साधिकारी एवं नर्सेज के पद स्वीकृत हैं। गंभीर बीमारियों से ग्रसित बंदियों की चिकित्सा उन्हें सामान्य अस्पतालों में भेजकर विशेषज्ञ चिकित्सकों की राय अनुसार कार्यवाही की जाती है। केन्द्रीय कारागृह जयपुर एवं जोधपुर में पैथोलोजीक लैब भी स्थापित है जिसमें सोनोग्राफी, एक्स-रे मशीन, सेमी-आटोएनेलाइजर और मोनीटर आदि की व्यवस्था की गई है। बंदियों की चिकित्सा का सम्पूर्ण व्यय राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाता है तथा समय समय पर विभिन्न गैर सरकारी संगठनों के सौजन्य से मेडिकल कैम्प आदि का आयोजन करवाकर बंदियों की चिकित्सकीय देखरेख की जाती है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, विचाराधीन बंदियों को पुलिस गार्ड के माध्यम से संबंधित न्यायालयों में पेश किया जाता है। राज्य की केन्द्रीय कारागृह जयपुर एवं जोधपुर में विडियो कांफ्रेसिंग सिस्टम स्थापित है, जिसके माध्यम से बंदियों को न्यायाधीश महोदय के समक्ष पेश किया जाता है। विचाराधीन बंदियों के प्रकरणों की सुनवाई में विलम्ब नहीं हो, इसकी समीक्षा हेतु मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट महोदय की अध्यक्षता में आवधिक समीक्षा समितियां गठित हैं। समिति की बैठक में सभी विचाराधीन बंदियों के प्रकरणों की समीक्षा की जाकर प्रकरणों का सामयिक निस्तारण के लिये संबंधित न्यायालयों का ध्यान आकर्षित किया जाता है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, बंदियों को बंदी खुले शिविरों में रखने की व्यवस्था के संबंध में निवेदन करना चाहूंगा कि बंदियों में अच्छे आचरण एवं स्व-अनुशासन को बढ़ावा देने के लिये कुल 13 बंदी खुला शिविर संचालित हैं, जो अन्य राज्यों के लिये भी आदर्श एवं अनुकरणीय होने के कारण वहां से भ्रमण दल आकर अध्ययन करके जाते हैं। ऐसे दंडित बंदियों को, जिन्होंने अपनी कुल सज़ा का 1/3 भाग रेमीशन सहित पूरा कर लिया है और जिनका आचरण कारागृहों में अच्छा रहा है, को दृष्टिगत रखते हुए राज्य

सरकार द्वारा राज्य स्तरीय स्थाई पैरोल समिति की अनुशंसा पर बंदियों को खुले बंदी शिविरों में भेजा जाता है।

खुले बंदी शिविरों में बंदी स्वयं की रूचि के उद्यम अपनाकर या सामान्य श्रमिक की भॉति मजदूरी करके अपना एवं अपने परिवार का पोषण करते हैं। इन खुले शिविरों पर जो कर्मचारी पदस्थापित किये हुए हैं, उनका कार्य इन शिविरों में बंदियों के कार्य में आने वाली कठिनाइयों को दूर करना तथा इन्हें कार्य प्राप्त करने में सहयोग देना है। खुले शिविर बंदियों के विश्वास पर ही संचालित हैं।

पैरोल एवं समय पूर्व रिहाई-

माननीय अध्यक्ष महोदय, जेल मैन्यअल के आधर पर नियमानुसार दी जाती है तथा सज़ा भुगतने के दौरान बंदियों में हुए सुधार को दृष्टिगत रखते हुए शेष सज़ा माफ कर समय पूर्व रिहाई करके इन्हें समाज में पुनर्स्थापन का अवसर दिया जाता है।

राजस्थान प्रिजन्स (शार्टनिंग ऑफ सैन्टेन्सेज) रूल्स, 2006 के अन्तर्गत दण्डित बंदियों को समय पूर्व रिहाई के मामलों पर विचार कर अपनी सिफारिश राज्य सरकार को भेजने हेतु केन्द्रीय एवं जिला कारागृहों पर सलाहकार मण्डलों का गठन किया जाता है। सलाहकार कण्डल बंदियों के समय पूर्व रिहाई प्रकरणों पर विचार कर बंदियों को छोड़ जाने/न छोड़ जाने की सिफारिश राज्य सरकार को करते हैं और राज्य सरकार द्वारा सलाहकार मण्डलों की सिफारिश को दृष्टि में रख कर बंदियों को समय पूर्व रिहा करने के सम्बन्ध में निर्णय लिया जाता है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, माबाईल एवं निषिद्व सामग्री का उपयोग कैदियों द्वारा नहीं किया जावे तथा बंदियों के आपसी झगड़े को रोकथाम के लिए कारागृहों के नियमित/आकस्मिक तलाशी ली जाती है तथा आदतन अपराधी बंदियों को अन्य बंदियों से अलग-अलग रखे जाने के सम्बन्ध में समय-समय पर परिपत्र जारी कर निर्देश प्रदान किये जाते हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, कटौती प्रस्तावों के द्वारा माननीय सदस्यों ने कारागृहों में मोबाईल व निषिद्व सामग्री का उपयोग बंदियों द्वाराकिये जाने का उल्लेख किया है, इस पर मैं कहना चाहूंगा कि दिनांक 01.01.2009 से 30.06.2009 तक की अवधि में बरामद 133 मोबाईल में से 41 बंदियों के पास तथा एक अन्य में आस बरामद किये गये तथा 91 मोबाईल लावारिस पाये गये हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, जेलों में मोबाईल के उपयोग पर रोक लगाने हेतु प्रथम चरण में राज्य की सभी 8 केन्द्रीय कारागृहों में 77 सेल्यूलर जैमर लगाये जाने हेतु राज्य सरकार द्वारा 10.78 करोड़ रुपये स्वीकृत किये गये थे। केन्द्र सरकार द्वारा 8 सेल्यूलर जैमर लगाये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई जिसके अनुक्रम में केन्द्रीय कारागृह, जोधपुर पर 8 सेल्यूलर जैमर लगवाये जा रहे हैं। पुन: सर्वे में 77 के बजाय 67 जैमर की ही आवश्यकता महसूस की गई है अत: शेष 59 सेल्यूलर जैमर लगाये जाने की

स्वीकृति प्रदान करने के सम्बन्ध में केन्द्र सरकार को अनुमति हेतु निवेदन कर दिया गया है, स्वीकृति उपरान्त शेश केन्द्रीय कारागृहों में भी सेल्यूलर जैमर लगवाये जायेंगे।

बंदियों के पास अनाधिकृत वस्तुओं की पहुंच पर अंकुश के लिये राज्य की सभी केन्द्रीय एवं जिला कारागृहों में सुरक्षा एवं तकनीकी उपकरण यथा 33 कम्प्यूटर/33 वेब कैमरा एवं 8 डोर फ्रेम व 40 हैण्ड मेटल डिटेक्टर उपलब्ध कराये गये हैं जिनकी सहायता से कारागृह के अन्दर जाने वाली आपत्तिजनक धातु की सामग्री यथा, फनर, चाकू, छूरी आदि की रोकथाम की जाती है तथा वेब कैमरा से यदि कोई बंदी की मुलाकात के समय कोई आपत्तिजनक निषिद्ध सामग्री सामान के साथ देने का प्रयास करता है तो भविष्यमें उसकी मुलाकात पर मुलाकातकर्ता की फोटो पहचान कर प्रतिबन्ध लगाने में सहायता मिलती है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, वर्तमान में कारागृहों में बंदियों द्वारा गलत आचरण या लड़ाई झगड़े व अन्य गतिविधियों में लिप्त होने का एक यह भी कारण रहा है कि कारागृहों में बंदियों की रहने की स्वीकृत क्षमता से अधिक बंदी, कारागृहों में है। ऐसी स्थिति में ओवर क्राउडिंग व अन्डर स्टॉफ भी कारण रहा है जिसके निवारण हेतु उपाधीक्षक के एक पद तथा सहायक कारापल के 18 रिक्त पदों की पूर्ति सीधी भर्ती के माध्यम से करने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, सुरक्षा प्रहरियों की कमी को दूर करने के लिए 250 प्रहरियों की भर्ती की कार्यवाही की जा रही है तथा 250 पदों की पूर्ति सीधी भर्ती के माध्यम से किये जाने की घोषणा माननीय मख्यमंत्रीजी के बजट भाषण में की गई है।

घोषणाएं

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कुछ घोषणाएं करना चाहूंगा। अध्यक्ष महोदय, कारागार विभाग में प्रहरियों/मुख्य प्रहरियों को मैस भत्ता वर्तमान में 725/- रुपये दिया जा रहा है जिसे बढ़ाकर 775/- रुपये प्रतिमाह पुलिस विभाग के समान किया जाने का माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा निर्णय लिया गया है, जो कुछ 1474 कर्मचारियों को देय होगा जिसके कारण 5.16 लाख रुपये का कुल वित्तीय भार राज्य सरकार को वहन करना पड़ेगा।

अध्यक्ष महोदय, कारागार विभाग के कर्मियों के उत्साह वर्धन, गम्भीर तथा लम्बी बीमारी के इलाज के लिये आर्थिक सहायता दिये जाने अथवा ऋण दिये जाने तथा सदस्यों के बच्चों को छात्रवृत्ति आदि कल्याणार्थ कार्यों हेतु स्थापित कर्मचारी कल्याण निधि में गत वर्ष 5.00 लाख रुपये का अनुदान किया गया था, अध्यक्ष महोदय, इसमें वृद्धि करते हुए इस वर्ष कर्मचारी कल्याण निधि में 10.00 लाख रुपये का अनुदान दिये जाने का निर्णय लिया गया है।

अध्यक्ष महोदय, राज्य के कारागारों में बंदियों के कल्याणार्थ, प्रशिक्षण, विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों/गतिविधियों के आयोजनार्थ स्थापित बंदी कल्याण कोष में गत वर्ष

5.00 लाख रुपये का अनुदान दिया गया था, इसे बढ़ाकर इस वर्ष बंदी कल्याण निधि में 10.00 लाख रुपये का अनुदान दिये जाने का निर्णय लिया गया है।

अध्यक्ष महोदय, कारागार कर्मियों का उत्साहवर्धक/मनोरंजन एवं विभिन्न खेल-कूद प्रतियोगिताओं में भाग लिये जाने हेतु साधन सुविधाएं उपलब्ध कराये जाने के उद्देश्य से पुलिस विभाग की तरह की कारागार कर्मियों हेतु भी इस वर्ष 5.00 लाख रुपये स्पोर्टस फण्ड में अनुदान दिये जाने का निर्णय लिया गया है।

अध्यक्ष महोदय, कारागार विभाग के कर्मियों द्वारा संस्थागत उत्सव आदि के आयोजन किये जाने के उद्देश्य से पुलिस विभाग की तरह ही इस वर्ष कारागार कर्मियों के लिये भी उत्सव फण्ड में 5.00 लाख रुपये का अनुदान दिये जाने का निर्णय हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री अशोक जी गहलोत के द्वारा लिया गया है। अध्यक्ष महोदय, इस प्रकार कुल 35.16 लाख रुपये का कुल वित्तीय भार राज्य सरकार पर रहेगा।

अन्त में, माननीय अध्यक्ष महोदय, आपसे मेरा निवेदन है कि कारागार विभाग की मांग संख्या-17 को पारित कराये जाने की कृपा करें।